भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 583

उत्तर देने की तारीख: 28.11.2024

जनजातीय युवाओं की बेरोजगारी

583. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आईटीआई डिग्री अथवा विधा में प्रशिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के प्रशिक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या विभिन्न जिलों में सरकारी जनजातीय आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) क्या लाखों बेरोजगार युवाओं की पहचान की गई है और उनमें से कुछ को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रगति के लिए चुना गया है और उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण-पत्र, जॉब लेटर प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में योजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) जनजातीय युवाओं सहित आईटीआई प्रमाण पत्र धारकों की प्रगति के लिए शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के तहत उन्हें व्यावहारिक कौशल प्रदान करने की तकनीकों और प्रशिक्षण पद्धति से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सीआईटीएस योजना के अंतर्गत, देश भर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 55 एनएसक्यूएफ अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। देशभर में, पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों में, अर्थात् 2019-20 से 2023-24 तक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5,28,866 अभ्यर्थियों को आईटीआई में प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से आईटीआई पासआउट के एक ट्रेसर अध्ययन और 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 63.5% आईटीआई स्नातक (जनजातीय आबादी सहित) नियोजित हैं, उनमें से 6.7% स्वरोजगार में हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के लाभार्थियों के रूप में शामिल जनजातीय युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 3,958 वीडीवीके की स्थापना के लिए 58,736.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वीडीवीके का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

दिनांक 28.11.2024 के लो.स.अ.ता.प्र. संख्या 583 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वीडीवीके का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)	वन धन लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	415	6,162.90	123578
2	अरुणाचल प्रदेश	106	1,590.00	32897
3	असम	471	7,065.00	143309
4	छत्तीसगढ़	139	2,085.00	41700
5	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	15.00	302
6	गोवा	10	150.00	3000
7	गुजरात	200	2,895.65	57968
8	हिमाचल प्रदेश	4	55.50	1110
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	1,457.00	29791
10	लद्दाख	10	150.00	3000
11	झारखंड	146	2,174.70	43701
12	कर्नाटक	140	2,087.40	41748
13	केरल	44	597.25	12038
14	मध्य प्रदेश	126	1,890.00	37860
15	महाराष्ट्र	264	3,960.00	79350
16	मणिपुर	200	2,996.80	60403
17	मेघालय	169	2,534.10	50835
18	मिजोरम	259	3,806.55	76168
19	नागालैंड	284	4,259.90	85198
20	ओडिशा	170	2,479.25	50094
21	राजस्थान	479	7,135.60	144803
22	सिक्किम	80	1,169.05	23381
23	तमिलनाडु	8	120.00	2400
24	तेलंगाना	17	255.00	5100
25	त्रिपुरा	57	776.00	16116
26	उत्तर प्रदेश	25	359.55	7238
27	उत्तराखंड	12	179.95	3605
28	पश्चिम बंगाल	22	329.35	6719
कुल		**3958**	**58,736.50**	**1183412**

*****